फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रमेशचन्द्र बनाम विपक्षी : श्री भीमराज व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 83/25

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 04.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब नही देना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 3, 4, 6, 9, 10 के सम्मन रजिस्टर्ड एडी से करा कर रसीद व डिलीवरी सर्टिफिकेट पेश किये गये जिससे विपक्षी संख्या 3, 4, 6, 9, 10 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अत अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 11 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 11 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में अंकित होकर संयुक्त आधिपत्य चला आ रहा है। उक्त भूमि के सभी पक्षकारों द्वारा पूर्व में ही मौखिक बंटवाडा विभाजन कर सभी पक्षकारों के मध्य प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थनाग्रस्त भूमि का उनके हिस्से अनुसार बंटवाडा कर दिया गया था। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण उक्त भूमि पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर अपनी सुविधा अनुसार काश्त करते और भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहें है मात्र राजस्व रेकर्ड में कानूनी रूप से बंटवाडा नहीं होने से भूमि संयुक्त खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि जब तक प्रार्थनाग्रस्त भूमि का बंटवाडा नहीं हो जाता तब तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये की वे प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा पेदा नहीं करें तथा प्रार्थनाग्रस्त भूमि की मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अतः प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 2, 5 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देना चाहा। [illegible] प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:41 IST
Reason: Self Attested

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थी द्वारा मूल वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है तथा उसी के साथ अस्थाई [illegible] का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार है। प्रार्थीगण का मूल वाद बंटवाडे व स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के मौके व रेकर्ड के परिवर्तन से बचने

के लिये विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है। अन्य बिन्दुओं को मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुंविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का वडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 405 की आराजी नम्बर 191, 192, 193 किता 3 रकबा 1.5400 है. भूमि, खाता संख्या नया 500 की आराजी नम्बर 184, 189, 190 किता 3 रकबा 1.1900 है. भूमि, खाता संख्या नया 358 की आराजी नम्बर 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 295, 296, 297, 298, 299 कुल किता 14 रकबा 5.0500 है. भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:41 IST
Reason: SelfAttested